संख्या-298/2017/2271/22-2-2016-17(184)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2017*

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो० साबिर पुत्र श्री वाहिद निवासी जनपद-पीलीभीत वर्तमान जनपद- बरेली की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43967/पर-2/सलाहकार समिति(एम0 13-12-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मो0 साबिर पुत्र श्री वाहिद निवासी-खेड़ा, थाना-अमरिया, जनपद-पीलीभीत वर्तमान पता-कस्बा-रिछा, थाना-देवरनिया, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी रानी बेगम के घर कांटा सब्बल बनवाने उसके घर आया था। उसके पति ने कांटा बनाने से मना किया तो बन्दी व उसके पति में आपस में गाली गलौज हुयी इसी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 22-10-1996 को समय लगभग 03:00 बजे की रात्रि में 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसके पति गुलाम मोहम्मद उर्फ चुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-179/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत द्वारा दिनांक 31-03-2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दाखिल अपील में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 17-08-2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 03-11-2016 तक 20 वर्ष 00 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 02 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मा0 सत्र न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के उपरान्त मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-4, पीलीभीत से प्राप्त अभिमत दिनांक 20-09-2016 में अवगत कराया है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी को समयपूर्व रिहा किये जाने पर सत्र परीक्षण के साक्षीगण के जीवन को गम्भीर क्षति कारित होने की सम्भावना है। यही नहीं समकक्ष अपराध की भविष्य में पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई का कोई युक्तियुक्त एवं यथेष्ट आधार प्रतीत नहीं होता है। यदि ऐसा कोई आवेदन है तो निरस्त किये जाने के योग्य है। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध एवं पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोहम्मद साबिर पुत्र श्री वाहिद को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-19648(एम0/बी0)/2016 मोहम्मद साबिर पुत्र श्री वाहिद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोहम्मद साबिर पुत्र श्री वाहिद, निवासी जनपद-पीलीभीत वर्तमान जनपद-बरेली की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-298/2017/2271(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।